उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या–973 / V-2/आ0–2019–01(आ0)2016 टी.सी.
देहरादून : दिनांक 19 जुलाई, 2019

अधिसूचना

चूंकि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सं–255 / 11–5–84–19(I)–डी0ए0 / 84, दिनांक 29.10.1984 द्वारा मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

और चूंकि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन की क्रमशः अधिसूचना सं–198 / 11–5–1987–59 डी0ए0–86, दिनांक 11.03.1987, तद्विषयक संशोधित अधिसूचना सं––3240 / 11-5–88–66 डी0ए0–88, दिनांक 19.05.1988 एवं उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं–1796 / V–2 / 01(आ0) / 2016, दिनांक 09.12.2016 के द्वारा दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का विशेष विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

और चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उपरोक्त उल्लिखित दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अधिसूचित विशेष विकास क्षेत्र को मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाय।

अतएव अब श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में निम्नलिखित भू–भाग को प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सं–255 / 11-5–84 –19(I)डी0ए0 / 84, दिनांक 29.10.1984 द्वारा मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र (देहरादून नगर पालिका, मसूरी का अधिसूचित क्षेत्र एवं 187 राजस्व ग्राम)।

(2) पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन की क्रमशः अधिसूचना सं–198 / 11-5–1987–59 डी0ए0–86, दिनांक 11.03.1987, तद्विषयक संशोधित अधिसूचना सं–3240 / 11–5–88–66 डी0ए0–88, दिनांक 19.05.1988 एवं उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं–1796 / V–2 / 01(आ0) / 2016, दिनांक 09.12.2016 के द्वारा दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र, उक्त अधिसूचित क्षेत्र में से टिहरी जनपद का वह भू–भाग जो अधिसूचना सं–1801 / V–2 / 2017–05(आ0) / 2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है, को छोड़कर।

(3) जनपद देहरादून के स्थानीय निकाय (छावनी परिषद को छोड़कर) यथा नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों का वह क्षेत्र जो उपरोक्त प्रस्तर 01 वं 02 में अधिसूचित होने से छूट गये क्षेत्र, सम्मिलित होंगे।

(4) जनपद देहरादून के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राज्यमार्ग के मध्य से दोनों ओर 200 मीटर क्षेत्र का राजस्व ग्राम का क्षेत्र(तहसील कालसी, चकरौता एवं त्यूनी के संलग्न 38 राजस्व ग्राम)।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

<u>संख्या– 973 / V-2/आ0–2019–01(आ0)2016 टी.सी.तददिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव।

<u>संख्या– 973/ V-2/आ0–2019–01(आ0)2016 टी.सी.तददिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1– सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं, पौड़ी / नैनीताल ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादन विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6– जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7– सचिव, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
8– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
9– सचिव, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
10– एन0आई0सी0 / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

अधिसूचना सं– 973/v–2/आ0–2019–01(आ0)/2016टी0सी0, दिनांक 19 जुलाई, 2019 का संलग्नक

तहसील कालसी	तहसील चकराता	तहसील त्यूनी
1–हरीपुर	12–माखटी (माखटी पोखरी बाजार)	28–फेडिज
2–व्यासनहरी	13–टूंगरा (पुरोड़ी बाजार)	29–हटाल
3–तिलवाड़ी	14–ठाणा(पुरोड़ी बाजार)	30–अणु
4–लूहन	15–जाडी	31– रायगी (त्यूनी बाजार)
5–लाछा (नागथात बाजार)	16–कोटी कनासर	32– बृनाड बास्तिल (त्यूनी बाजार गेट)
6–कालसी	17– त्यूना	33–मेन्द्रथ
7–व्यासभूड़	18– सैंज	34–हनौल
8–नेवी (सहिया बाजार)	19–कोरूवा	35–चातरा
9–उदपाल्टा(सहिया बाजार)	20–जोगियो (क्वांसी बाजार)	36–दाड़मीगाढ
10–खेरूवा	21–पुनाह पोखरी	37–मन्द्रोली
11– कोटी (कालोनी)	22–चामा	38–सिलावड़ा
	23–धौरा पुड़िया	
	24–लाखामण्डल	
	25–मैलोथ क्वानू	
	26–मझगांव क्वानू	
	27–कोटा क्वानू	

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।